



75
आजादी का
अमृत महोत्सव

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

संख्या: ए.ए.आई./विज/आरटीआई/535/2026/652

दिनांक: 20.08.2026

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना के लिए अनुरोध।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया आपके द्वारा जमा की गई ऑनलाइन आरटीआई आवेदन AAOIN/R/E/26/01225/2 दिनांक 05.08.2026 का संदर्भ लें जो कि इस विभाग में दिनांक 07.08.2026 को प्राप्त हुई। उपरोक्त आरटीआई आवेदन के माध्यम से सतर्कता विभाग से सम्बंधित मांगी गई जानकारी एवं उपलब्ध जानकारी निम्नानुसार है:

क्र.सं.	मांगी गई जानकारी	उपलब्ध जानकारी
1	Please provide me the information that on my superannuation dated 30.06.2026, the payment of Gratuity and HPL are not released on a/c of VC and DC clearance. Ground on which the above payment are not released and certified copy of nothings of CVO and Disciplinary Cell along with the copy of the nothing of Competent Authority ordering not to release the above payment may please be provided at the earliest	भाविप्रा के सतर्कता विभाग में ऐसी कोई रिकॉर्ड जानकारी उपलब्ध नहीं है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत, सिर्फ वही जानकारी दी जा सकती है जो सार्वजनिक प्राधिकरण के पास मौजूद हो या उसके कंट्रोल में हो। जन सूचना अधिकारी को, ऐसी जानकारी नहीं बनानी चाहिए जो रिकॉर्ड का हिस्सा न हो। No such recorded information is available in Vigilance Department of AAI. Under the provisions of the RTI Act, 2005 only such information as is available and existing and held by the public authority or is under control of the public authority can be provided. The PIO is not supposed to create information that is not a part of the record.

2. यदि आप उपर्युक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो इस पत्र की प्राप्ति के तिथि से 30 दिन के भीतर श्री राजगुरु जैन, महाप्रबंधक(सतर्कता), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली 110 003 को अपील कर सकते हैं।

भवदीय,
(सचिन कुमार मितल)

उप. मुख्य सतर्कता अधिकारी (अन्वेषण)/केंद्रीय जन सूचना अधिकारी